संरस0-9/आ0-09-01/2022

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि डा0 मनोज कमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, मनसाही, कटिहार के पदस्थापन काल मे अपने प्रतिस्थानी को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्रभार नही सौपने एव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मद से अनियमित राशि की निकासी करने के आरोप जैसा कि आरोप पत्र मे अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डा0 चौधरी के विरूद्ध अनुबध मे वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के सचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन **डा0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–9, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डा0 चौधरी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी समय जैसा कि सचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमे माननीय स्वास्थ्य मत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–09–01/2022(स्वा0)........................../ पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यो की प्रति सहित डा0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेगे।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–09–01/2022(स्वा0)......................./ पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–09–01/2022(स्वा0)..136(9)../ **पटना, दिनांक** :..10.2.25..........

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, कटिहार/डा0 मनोज कमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, मनसाही, कटिहार को आरोप–पत्र एवं साक्ष्यो की प्रति सहित सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सिविल सर्जन, कटिहार से अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

07/02/2025

सरकार के अवर सचिव।